वर्ष – 2022-2023

निविदा दस्तावेज

कार्य का नाम – कारगी ट्रांसफर स्टेशन से कूड़े का ट्रांस्पोटेशन के माध्यम से शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाने हेतु ई–निविदा।

नगर निगम देहरादून।

ई–मेल आई0डी0–nagarnigam.ddn@gmail.com
बेबसाइट – www.nagarnigamdehradun.com

Scanned with Any Scanner

अनुक्रमांक तालिका

क्र.सं.	विवरण	पेज सं0
1	ई–निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	3
2	कार्य का नाम	3
3	कार्य का विवरण	3
4	निविदा हेतु पात्रता/अर्हता	3–4
5	स्कोप ऑफ वर्क एवं शर्तें	4–5
6	ई–निविदा शुल्क	5
7	धरोहर राशि	5
8	कार्यपूर्ति प्रतिभूति	5–6
9	निविदा विधि	6
10	वित्तीय प्रस्ताव	6
11	भुगतान प्रक्रिया	6
12	पैनल्टी	6–7
13	विवाद की स्थिति	7
14	निविदा स्वीकार/स्वीकृति	7
15	क्षतिपूर्ति	7
16	कार्य आदेश	7
17	कार्य अवधि	7
18	विलम्ब से प्राप्त निविदा	8
19	समीक्षा समिति	8
20	ई–निविदा का प्रकाशन	8
21	निविदा की अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र	8
22	**संलग्नक**	
23	वित्तीय बिड बी0ओ0क्यू0	9

Scanned with Any Scanner

ई–निविदा दस्तावेज

1	ई–निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	• प्रकाशित करने की तिथि–26.07.2022 समय 2 बजे • अपलोड करने की तिथि–27.07.2022 समय 2 बजे • डाउनलोड की अन्तिम तिथि–10.08.2022 समय 2 बजे • डालने की अन्तिम तिथि–12.08.2022 समय 2 बजे • खोलने की तिथि–16.08.2022 समय 3 बजे
2	कार्य का नाम	• कारगी ट्रांसफर स्टेशन से कूड़े का ट्रांस्पोटेशन कर शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचाने हेतु ई–निविदा।
3	कार्य का विवरण	• नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न तरीकों से एकत्रित हुये कूडे को नगर निगम वाहनों/ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा कारगी ट्रांसफर स्टेशन पर लाया जाता है। उक्त कूड़े को कारगी ट्रांसफर स्टेशन से शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाने हेतु निविदा प्रक्रिया की जा रही है। • कारगी ट्रांसफर स्टेशन से शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट तक की दूरी–22 किलोमीटर है।
4	निविदा हेतु पात्रता/ अर्हता	• निविदादाता फर्म/पते का प्रमाण पत्र संलग्न। • निविदादाता फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। • निविदादाता के पास पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड न हो, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म को न्यूनतम 01 वर्ष का सम्बन्धित कार्य (ऑपरेशन ऑफ सेकेण्डरी ट्रांस्पोटेशन ऑफ वेस्ट अथवा ऑपरेशन ऑफ डम्पर एवं लोडर आदि) अनुभव के आवश्यक प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म के विरूद्ध कोई कानूनी विवाद नहीं है, का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का टर्न ओवर रू0–1.0 करोड़ होना चाहिए, जो कि सी0ए0 द्वारा प्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है। • निविदादाता फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 का आयकर रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य

Scanned with Any Scanner

		है।
5	स्कोप ऑफ वर्क एवं शर्तें	• कारगी ट्रांसफर स्टेशन में एकत्रित कूड़े को प्रतिदिन शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाया जायेगा। • कूडे का परिवहन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सांय 6 बजे तक किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में कूडे का परिवहन रात्रि के समय नगर निगम की अनुमति से किया जायेगा। • कूडे का उठान कर वाहन में लोडिंग / अनलोडिंग करने का दायित्व सफल निविदादाता फर्म का होगा। जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। • कारगी ट्रांसफर स्टेशन से ससमय ठोस अपशिष्ट का परिवहन शीशमबाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट तक करने के उपरांत स्थल को साफ रखा जायेगा। • प्रोसेसिंग प्लांट के वेब्रिज पर कूड़े को तोला जायेगा। परिवहन किये गये ठोस अपशिष्ट का मूल्यांकन प्रति मिट्रिक टन के अनुसार किया जायेगा। • कूड़े का परिवहन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसार बन्द वाहनों/पूर्ण रूप से ढक कर करना अनिवार्य है। किसी भी दशा में कूड़े का परिवहन खुले रूप में नहीं किया जायेगा, उलंघन करने पर निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। • स्वीकृत निविदादाता फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डम्पर/ट्रक में मृत जानवर, सिल्ट, सी0&डी0 वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, गैर–जायज प्रकार की वस्तुयें का परिवहन नहीं किया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में उक्त हेतु निर्धारित अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। (साथ ही डम्पर/ट्रक में उक्त प्रकार के कूड़े की मात्रा पायी जाती है, तो पूरा वजन को अमान्य कर भुगतान नहीं किया जायेगा) • निविदा पाने वाली फर्म को कार्य के उप विभाजन (सबलेट) करने की छूट नहीं होगी/पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। • वाहनों में किसी प्रकार की टूट–फूट होने पर खर्चा फर्म को स्वंय वहन करना होगा। • निविदा दरों के साथ निविदादाता फर्म का वाहनों का

Scanned with Any Scanner

		इन्श्योरेन्स, पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। • डम्पर/ट्रक वाहनों के संचालन हेतु यातायात/परिवहन/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो वह निविदादाता फर्म को स्वंय प्राप्त करने होंगे। • कारगी ट्रांसफर स्टेशन से कूड़े का परिवहन 06 टायर/10 टायर डमपर /ट्रक से किया जायेगा। • कूड़े के डम्पर/ट्रक पर जी0पी0एस0 सिस्टम लगा होना आवश्यक है, जिसका डेटा नगर निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। • कार्य के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
6	ई–निविदा शुल्क	• ई–निविदा फार्म शुल्क रू0 1000+जी0एस0टी0 18%
7	धरोहर राशि	• निविदा हेतु धरोहर राशि रू0 5,00,000 की एफ0डी0 आर0/सी0डी0आर0/डी0डी0 जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य है। • धरोहर राशि/निविदा शुल्क सम्बन्धी एफ0डी0 आर0 /सी0डी0आर0/डी0डी0 की हार्ड कापी शील बन्द लिफाफे में स्वास्थ्य अनुभाग में निविदा डालने की अन्तिम तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि /निविदा शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
8	कार्यपूर्ति प्रतिभूति	• अनुबंध के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता फर्म जिसके पक्ष में अनुबंध दिया गया हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जायेगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपूर्ति अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत होगी, कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्य बैंक से निर्गत आदाता के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी के मूल्य में निविदा प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। • कार्यपूर्ति धरोहर निविदा दाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्व सम्मिलित है। कार्य अवधि पूर्ण होने के दिवस से 60 दिवस तक वैध होना आवश्यक है।

Scanned with Any Scanner

		• सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा धरोहर वापस कर दी जायेगी।
9	निविदा विधि	• ई–निविदा हेतु दो प्रस्ताव प्रणाली आमंत्रित की जा रही है, जिसमें प्रस्ताव–एक में निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज/शपथ पत्र/धरोहर राशि/टेण्डर फीस एवं कार्य से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराये जायेंगे। एवं प्रस्ताव–दो में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा जो कि ई–निविदा पोर्टल पर बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगा।
10	वित्तीय प्रस्ताव	• ई–निविदा प्रक्रिया में उक्त कार्य हेतु बी0ओ0क्यू0 के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायेंगी। (संलग्न– बी0ओ0क्यू0) • न्यूनतम दरें के आधार निविदादाता फर्म का चयन किया जायेगा। • निविदा हेतु पात्रता/अर्हता में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बिड खोली जायेगी।
11	भुगतान प्रक्रिया	• प्रत्येक माह कार्य के उपरान्त बिल प्रस्तुत करने पर अगले माह के 15 दिवसों में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। • नगर निगम द्वारा निविदा दाता के साथ अनुबंध की शर्तो के अनुसार भुगतान किया जायेगा। • नगर निगम स्तर पर अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब होने पर निविदादाता द्वारा कार्य नहीं रोका जायेगा। • कार्य संतोष जनक/बिलों के सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। • भुगतान जी0पी0एस0 सिस्टम प्रणाली के सत्यापन के उपरान्त ही किया जायेगा। • तकनीकि कारणों से भुगतान में विलम्ब होने पर फर्म द्वारा कारणों के निस्तारण किये जाने के बाद शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
12	पैनल्टी	• कारगी ट्रांसफर स्टेशन पर प्रतिदिन कूड़ा अवशेष पाये जाने पर (सम्पूर्ण सफाई) उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम–2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with Any Scanner

		• कार्य आदेश/अनुबंध का निरन्तर उलंघन करने पर समानुपातिक रूप से कटौती की जायेगी अथवा अनुबंध निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है। • डम्पर वाहन से कूड़े का परिवहन यदि खुले/बिना ढके पाया गया तो प्रति डम्पर प्रति फेरे रू0 1000/– का अर्थदण्ड वसूला जायेगा।
13	विवाद की स्थिति	• फर्म तथा नगर निगम के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निपटारा नगर् निगम स्तर पर किया जायेगा। • किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।
14	निविदा स्वीकार/ स्वीकृति	• किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के पास सुरक्षित है। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाये। • दरें स्वीकृत होने पर निविदादाता को कार्य करने से पूर्व 100/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
15	क्षतिपूर्ति	• किसी भी कारणवश वाहन से आकस्मिक घटना/ दुर्घटना घटित होने पर पूर्ण जिम्मेदारी/ जबाबदेही सफल निविदादाता फर्म की होगी। • निविदा प्राधिकारी कार्यालय से किसी भी वाहन/व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा।
16	कार्य आदेश	• यदि सफल निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा संतोष जनक रूप से कार्य नहीं करता अथवा शर्तो का उलंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसका अनुबंध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
17	कार्य अवधि	• उक्त कार्य की अवधि 01 वर्ष होगी तथा कार्य की त्रिमासिक समीक्षा की जायेगी, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समिति की सहमति/संस्तुति से कार्य अवधि/ अनुबंध को दो अन्तिम वार्षिक रूप से अधिकता वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

Scanned with Any Scanner

19	विलम्ब से प्राप्त निविदा	• देर से प्राप्त (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
19	समीक्षा समिति	• नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून की अध्यक्षता में निम्नानुसार उक्त कार्य की समीक्षा हेतु समिति गठित की जायेगी • नगर आयुक्त/नामित अधिकारी–अध्यक्ष • मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी–सदस्य • वरिष्ठ वित्त अधिकारी–सदस्य • अधिशासी अभियन्ता–सदस्य
20	ई–निविदा का प्रकाशन	• ई–निविदा उत्तराखण्ड ई–निविदा पोर्टल www.uktenders.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा, इसके साथ नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध रहेगा। • ई–निविदा प्रक्रिया में विस्तार एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में ई–निविदा पोर्टल पर शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जायेगा। • निविदा ई–प्रोक्यूरमेंट पोंटल से प्राप्त की जायेंगी।
21	निविदा की अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र	• डॉ– अविनाश खन्ना, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून। मेवाइल न0 – 9412142022

Scanned with Any Scanner